न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट भोगनीपुर, कानपुर देहात।

उपस्थितः राशि तोमर (उ०प्र० न्यायिक सेवा) ID NO. UP 2540

मुकदमा सं०–840/2022

सरकार बनाम रूपसिंह आदि।

धारा– 341/384/504/506/34 I.P.C
थाना–अमराहट, कानपुर देहात।

आदेश

10/10/2022

अभियुक्त रवि की ओर से अपराध संख्या– 23/2022 अंतर्गत धारा– 341/384/504/506/34 I.P.C थाना अमराहट जिला कानपुर देहात में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि F.I.R में वर्णित तथ्य एवं बयान वादीनुसार अभियुक्त द्वारा अवैध वसूली की धमकी दी गयी थी कोई पैसा वसूला नहीं गया है। अभियुक्त निर्दोष है, उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की आख्या के अनुसार अपराध गैर जमानतीय है। जमानत का प्रबल विरोध है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। F.I.R कथानक अनुसार दिनांक 27.03.2022 को लगभग रात 10 बजे मयंक, शेरू, अनुराग व नसीम खाना लेकर घाट पर कार्य कर रहे लड़को के लिए जा रहे थे तभी दबंग रूपसिंह व रवि, श्यामनारायण उर्फ पप्पू, डालचन्द्र उर्फ गुल्ली, रमाकान्त उनके साथ लगभग 7–8 लोग जो अपना मुँह बांधे हुए थे ने मेरी गाड़ी को घेर लिया और कहने लगे कि हम लोग तुम्हारे सामने रास्ता खोद रहे हैं करलो और देखते ही देखते रास्ता में गड्ढा खोद दिया जब लड़को ने मना किया तो गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी और ट्रक ड्राइवरों को धमकी दी जिस कारण घाट पर काम कर रहे घाट पर रुकने से डर रहे क्योंकि दबंगों ने घाट पर भी गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी है और सभी लोग एकराय होकर कहने लगे जब तक हम लोगों को पैसा नहीं दोगे तब तक हम लोग इस रास्ते से तुम्हारी गाड़ियां नहीं चलने देंगे अवैध वसूली की धमकी दी। आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है कोई साक्ष्य संकलन हेतु शेष नहीं है। सहअभियुक्त की जमानत पूर्व में हो चुकी है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त का जमानत का आधार पर्याप्त है। अभियुक्त की ओर से बीस हजार रुपये की दो जमानते तथा इतनी ही धनराशि का निजी बंधपत्र निष्पादित करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

राशि तोमर
सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
भोगनीपुर, कानपुर देहात।
ID NO. UP 2540